प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने सुब्बैया कोर्रापति द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.91 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और सुब्बैया कोर्रापति के सहयोगियों के नाम पर एक व्यावसायिक संपत्ति के रूप में हैं।

हैदराबाद स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सुब्बैया कोर्रापति और अन्य के खिलाफ दिनांक 10.11.2020 को दर्ज एफआईआर संख्या आरसी 0352020ए0010-सीबीआई/एचवाईडी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, सुब्बैया कोर्रापति ने जाली उप-अनुबंध समझौतों और अस्तित्वहीन कार्य आदेशों को प्रस्तुत करके सिंडिकेट बैंक, चंदननगर शाखा से धोखाधड़ी से 10 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की। एसीबी ने हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों के ट्रायल के लिए माननीय XXI एसीएमएम-सह-विशेष जेएमएफसी के समक्ष दिनांक 21.04.2023 को आरोपपत्र संख्या 03/2023 दायर किया। उक्त आरोपपत्र के अनुसार, सुब्बैया कोर्रापति ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके जानबूझकर 10 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए जाली संपत्ति दस्तावेजों को गिरवी के रूप में प्रस्तुत किया। 12.30 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने में चूक की और इस प्रकार बैंक को धोखा दिया, जिससे बैंक को 12.30 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ और स्वयं को इसके अनुरूप अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि सुब्बैया कोर्रापति और अन्य ने काल्पनिक और अवास्तविक संपत्तियों के आधार पर ऋण लिया था, जिनका पंजीकरण मूल्य बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि कोर्रापति सुब्बैया ने उक्त ऋण राशि का उपयोग अपने बताए गए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करने के बजाय, फर्जी उप-अनुबंधों, जाली कच्चे माल के बिलों, धन की हेराफेरी और नकद निकासी के माध्यम से अन्य सह-आरोपियों और संस्थाओं को ऋण राशि हस्तांतरित करके उसका गबन किया। यह भी पता चला कि सुब्बैया कोर्रापति ने जाली प्रोफोर्मा चालान जमा करके और धनराशि को अपने बैंक खातों में वापस भेजकर एनएसआईसी कच्चा माल सहायता योजना के तहत बैंक गारंटी का भी दुरुपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि कोर्रापति सुब्बैया ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग ऋण चुकाने, परियोजनाओं को हासिल करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों के लिए किया।

आगे की जांच जारी है।